


योग्य नहीं है। जिससे करिग्रहण का
पाद बरकीकार किया जाकर स्वयं
किया जाता है। बाद शब्दाला पराजय
विधि सुधार केजर-वक्कत से काम (व)
विषय सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर (उपग्रहण अधिकारी)
रुक्मपुर (मेलवाडा)

17/12
श्रीमान्
श्रीमान्